

५/१२/२३

पत्रवाही कर के अंतर्गत करीब ५०००
 इकाइयों की विभागीय अनुसंधान
 विभागीय के कार्य के अंतर्गत
 लीन-लीन करके रिपोर्ट में
 बावजूद करके रिपोर्ट के अनुसंधान
 करने के विभागीय के विषय
 एक तरह का कार्यवाही भी जारी है
 करीब ५००० के पत्रवाही पर
 बंद हो चुकी है। तदनुसार उक्त के
 विषयों को लेकर न्यायालय द्वारा
 गणना करके की जा रही है।
 पत्रवाही जारी होकर करीब ५०००
 की जाते पत्रवाही विषय हुआ है।
 करीब ५००० है।

(Handwritten signature)

हपसुद अधिकारी, गुडमाला



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठारोीन अधिकारी श्री प्रगोद कुडार आर.ए.एस

संख्या: 228/2022

प्रार्थीगण :-

1. जगदीश पुत्र कानाराम
2. ताजाराम पुत्र वगताराम
3. पेम्पो पत्नी कानाराम
4. पुरखाराम पुत्र वगताराम
5. बुधराराम पुत्र वगताराम
6. सोनाराम पुत्र वगताराम

जाति जाट निवारसी मालपुरा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. साकर पुत्र आदम
 2. होती पुत्र आदम
 3. मत्तू पुत्र भेरा
 4. जेठा खां पुत्र सचू खां
 5. निहाल खां पुत्र सचू खां जाति मुसलमान
 6. सोनाराम पुत्र देवाराम
 7. गुलाराम पुत्र ताजाराम
 8. गोरधनराम पुत्र ताजाराम
 9. धिमनाराम पुत्र ताजाराम
 10. जैताराम पुत्र ताजाराम
 11. मोतीराम पुत्र सोनाराम
 12. प्रभुराम पुत्र नवलाराम
- जाति जाट निवासी मालपुरा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
13. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गुडामालानी
 14. तहसीलदार नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश :-

दिनांक :- 04.04.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 433, 465 रकबा 4.5082, 6.3131, हैक्टियर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ

उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 433, 465 रकबा 4.5082, 6.3131 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 4/4/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर) ..

वाद / 2023 / 297

दिनांक : 04/04/2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

जगदीश कोर

राम कृष्ण कोर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी


राजस्व आवेदन सं. 228/22

निर्णय दिनांक :- 4/4/23

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मालपुर के खेत खसरा
नम्बर 433 रकबा 4.5082 हे० खसरा नम्बर 465 रकबा 6.313 हे०
खसरा नम्बर रकबा खसरा नम्बर रकबा
एवं खसरा नम्बर रकबा की भूमि के चारों तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार राम कृष्ण को
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये 1000/- प्रार्थी अदा
करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर
उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 04/04/2023.

क्रमांक: वाद / 2023 / 298-302

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार राम कृष्ण
2. थानाधिकारी R.G.T. राज कृष्ण कोर
3. हल्का पटवारी मालपुर को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी
कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी जगदीश कोर
5. विप्रार्थी राम कृष्ण कोर


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी